

CPC, 1908

PART 04

सिविल प्रक्रिया संहिता

**The Code of
Civil Procedure**

Definitions परिभाषाएं



#Judiciary

By Poonam Sha



WELCOME **UMMEED** **CLASSES**

**Like Video and Subscribe
our channel**

Join us:



9269100222



UMMEED CLASSES



#Hinglish

By Poonam Ma'am

The Code of Civil Procedure, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

1. Act no. 5 of 1908
2. Enactment – 21st March, 1908
3. Came into force on - **1st January 1908**
4. Subjects of concurrent list- **Entry 13**

Total :

Parts : 11

Schedule: 5

Sections: 158

Orders: 51

Appendix: A-H

Parts

Parts	Particulars	Sections
	Preliminary प्रारम्भिक १	1-8
I	Suits in General साधारणतः वादों के विषय में	9-35B
II	Execution निष्पादन	36-74
III	Incidental Proceedings आनुषंगिक कार्यवाहियाँ	75-78
IV	Suits in Particular cases विशिष्ट मामलों में वाद	79-88
V	Special Proceedings विशेष कार्यवाहियाँ	89-93
VI	Supplemental Proceedings अनुपूरक कार्यवाहियाँ	94-95

Parts	Particulars	Sections
VII	Appeals अपील	96-112
VIII	Reference, Review and Revision निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण	113-115
IX	Special Provisions relating to the High Court not being the court of a Judicial Commissioner ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं हैं।	116-120
X	Rules नियम	121-131
XI	Miscellaneous प्रकीर्ण	132-158

An Act to consolidate and amend the laws relating to the
procedure of the Courts of Civil Judicature
सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से सम्बन्धित विधियों का
समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम

UMMEED
CLASSES✓
MCA

PRELIMINARY

प्रारम्भिक

1. Short title, commencement and extent ✓
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार
- ✓ 2. Definitions परिभाषाएँ
3. Subordination of Courts न्यायालयों की अधीनस्थता.
4. Savings व्यावृत्तियाँ.
5. Application of the Code to Revenue Courts
संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना
6. Pecuniary jurisdiction धन-संबंधी अधिकारिता
7. Provincial Small Cause Courts. प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय
8. Presidency Small Cause Courts प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय

PRELIMINARY प्रारम्भिक

Section 1: Short title, commencement and extent.

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार –

- (1) This Act may be cited as the Code of Civil Procedure, 1908.
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 है।
- (2) It shall come into force on the first day of January, 1909
यह सन् 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।
- (3) It extends to the whole of india except- the State of Nagaland and the tribal areas
इसका विस्तार नागालैण्ड राज्य और जनजाति क्षेत्रों, के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है

Section 2 Definitions परिभाषाएँ

2(1)– 2(20)

2(1) Code संहिता : includes rules
के अन्तर्गत नियम आते हैं

UMMEED
CLASSES

✓ 2(2) "decree" means the formal expression of an adjudication which, so far as regards

- the Court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and
- may be either preliminary or final.
- It shall be deemed to include the rejection of a plaint and 07 RII
- the determination of any question within Section 144,

- प्ररूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो,
- जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से सम्बन्धित है,
- बाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है और
- वह या तो प्रारम्भिक या अन्तिम हो सकेगी। ① ②
- यह समझा जाएगा कि इसके अन्तर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना
- और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है

but shall not include-

- (a) any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order
- (b) any order of dismissal for default.

Explanation.-A decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final

किन्तु इसके अन्तर्गत-

(क) न तो कोई ऐसा न्यायनिर्णयन आएगा जिसकी अपील, आदेश की अपील की भाँति होती है; और

(ख) न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा।

स्पष्टीकरण - डिक्री तब प्रारम्भिक होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्यवाहियों की जानी हैं। वह तब अन्तिम होती है जब कि ऐसा न्यायनिर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। वह भागतः प्रारम्भिक और भागतः अन्तिम हो सकेंगा;

2 (3) "decree-holder" means any person in whose favour a decree has been passed or an order capable of execution has been made:

2 (4) "district" means the local limits of the jurisdiction of a principal Civil Court of original jurisdiction (hereinafter called a 'District Court'), and includes the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a High Court:

(3) "डिक्रीदार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन- योग्य आदेश किया गया है;

(4) "जिला" से आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की (जिसे इसमें इसके पश्चात् "जिला न्यायालय" कहा गया है) अधिकारिता की स्थानीय सीमाएँ अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएँ आती हैं;

(5) "**foreign Court**" means a Court situate outside India and not established or continued by the authority of the Central Government:

(6) "**foreign Judgment**" means the judgment of a foreign Court:

(5) "**विदेशी न्यायालय**" से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न चालू रखा गया है;

(6) "**विदेशी निर्णय**" से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है;

Amr
(7) **Government Pleader** includes any officer appointed by the State Government to perform all or any of the functions expressly imposed by this Code on the Government Pleader and also any pleader acting under the directions of the Government Pleader

(7) "सरकारी प्लीडर" के अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निदेशों के अधीन कार्य करता है

(7-A) "**High Court**" in relation to the Andaman and Nicobar Islands. means the High Court in Calcutta ;

(7-B) "**India**", except in Sections 1, 29, 43, 44, 44-A, 78, 79, 82, 83 and 87-A, means the territory of India ~~excluding~~ the State of Jammu and Kashmir:

including.

(7-क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सम्बन्ध में "**उच्च न्यायालय**" से कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(7-ख) धारा 1, 29, 43, 44, 44-क, 78, 79, 82, 83 और 87-क में के सिवाय "**भारत**" से जम्मू- कश्मीर राज्य के ~~सिवाय~~ भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है; साथ

THANKING YOU

FOR

WATCHING

UMMEED CLASSES



9269100222



UMMEED CLASSES



UMMEED_CLASSESOOI



**UMMEED
CLASSES**

